[25/3/2022]

परिशिष्ट-अ

प्रश्न क्र. 4463; ... दिनांक 25/3/22

प्रश्न सं. [क्र. 4463]

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पूर्व संचालित स्वरोजगार योजनाएं

योजना का नाम		मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
परियोजना लागत		**10 लाख से 2 करोड़** (उद्योग एवं सेवा की परियोजना हेतु)	**50 हजार से 10 लाख** (उद्योग,सेवा एवं व्यवसाय की परियोजना हेतु)	**50 हजार से 2 करोड़** (केवल किसान पुत्री/पुत्र के लिए उद्योग,सेवा एवं व्यवसाय की परियोजनाओं हेतु, जिसमें कृषि आधारित परियोजना को प्राथमिकता है)
पात्रता	आयु	18 से 40 वर्ष	18 से 45 वर्ष	18 से 45 वर्ष
	शैक्षणिक योग्यता	10 वीं	5 वीं	10 वीं
	आय-सीमा / श्रेणी	कोई बंधन नहीं	कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए तथा आवेदक स्वयं आयकर दाता ना हो।	कोई बंधन नहीं।
वित्तीय सहायता	मार्जिन मनी अनुदान	(अ) परियोजना के पूँजीगत लागत का 15% (अधिकतम रूपये 12 लाख)। (ब) BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20% (अधिकतम रूपये 18 लाख)	(अ)सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15% (अधिकतम रू. 1 लाख)। (ब)BPL/SC/ST/OBC/ Woman /Minorities/ Disabled हेतु परियोजना लागत का 30%(अधिकतम रू. 2 लाख)। (स) अतिरिक्त प्रावधान- (i) Denotified Tribes को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम रु. 3 लाख)। (ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% (अधिकतम रू. 1 लाख) की पात्रत	(1) रूपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अनुरूप मार्जिनमनी अनुदान की पात्रता होगी। (2) रूपये 10 लाख से कम की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुरूप मार्जिनमनी अनुदान की पात्रता होगी।
	ब्याज अनुदान	पूंजीगत लागत का 5% प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रू. 5 लाख प्रतिवर्ष)	परियोजना लागत का 5% प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6% प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रू. 25,000 प्रतिवर्ष)	(1)रूपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अनुरूप ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। (2) रूपये 10 लाख से कम की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुरूप ब्याज अनुदान की पात्रता होगी
	गारंटी फीस	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।

नोट:- उपरोक्त योजनाओं का संचालन वर्ष 2020-21 से बंद कर इन्हें समाप्त कर दिया गया है।

सहायक संचालक उद्योग
उद्योग संचा... म.प्र.
भोपाल

(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिका
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम ...